

देवघर समाहरणालय
(जिला भू अर्जन शाखा)

—: अधिघोषणा :-

(अधिनियम-30/2013 की धारा-19 (1) के अधीन)

अधिघोषणा संख्या ...35.../भू अ०

दिनांक- 8/11/18


चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना- देवघर-मधुपुर पथ उन्नयन परियोजना हेतु ग्राम-गौरीपुर, थाना-देवघर, थाना संख्या-617 अंचल-देवघर, जिला-देवघर के कुल-0.29 एकड़ भूमि अपेक्षित है।

इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 0.29 एकड़ है और जो ग्राम-गौरीपुर थाना-देवघर, थाना संख्या-617, अंचल-देवघर, जिला-देवघर में है, जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क. स.	खात 1 सं.	सर्व भूखंड सं०	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं०)			
							उ०	द०	पू०	प०
1	11	2029	रैयती	बाड़ी-2	0.17	बिमला देवी पति स्व० गुलो राय वो सुमेश्वर राय वो जागेश्वर राय वो रामेश्वर राय पे० स्व० कैसर राय वो रेशमी देवी पति स्व० रामेश्वर राय वो छबीनाथ राय पे० स्व० मुंशी राय वो सावित्री देवी पति स्व० धनेश्वर राय वो खुबलाल राय वो भागीरथ राय माथुर राय पे० स्व० चुरामन राय।				
2	11	2295	रैयती	बाड़ी-2	0.01	तथैव				
3	15	2296	रैयती	बाड़ी-2	0.11	प्रतिमा देवी पति रोहित दास वो दुनिया देव्या पति स्व० सखी महारा वो कागजी देवी पति स्व० रामदेव दास वो बालदेव दास पे० लालू महारा वो गोविन्द महारा वो सुफलाल दास पे० स्व० अमीन महारा वो महादेव महारा पे० स्व० नगदी महारा वो सुदामा देवी पति स्व० गांगु महारा वो शीतल दास पे० स्व० भुखन महारा वो मंजू देवी पति स्व० मोहन दास।				
कुल रकवा-					0.29					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम स०-30/2013 की धारा 15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत है :

ग्रामX थानाX थाना संख्याX अंचलX जिला भूमि अर्जन पदाधिकारीX के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।


8/11/18
समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।

ज्ञापांक 35 / भू अ०, देवघर, दिनांक 8/1/18

प्रतिलिपि : संबंधित भूधारियों को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमण्डल पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ एवं सूचना पट्ट में लगाने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, देवघर को दो दैनिक समाचार पत्रों में जिसमें से एक स्थानीय भाषा में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, देवघर को आगामी असाधारण/पाक्षिक अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, देवघर को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि देवघर जिला के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने का कृपा करें।


8/1/18

समाहर्ता-सह-उपायुक्त,
देवघर।